इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 09 | अप्रैल, 2026 | पृष्ठों की संख्या - 08

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

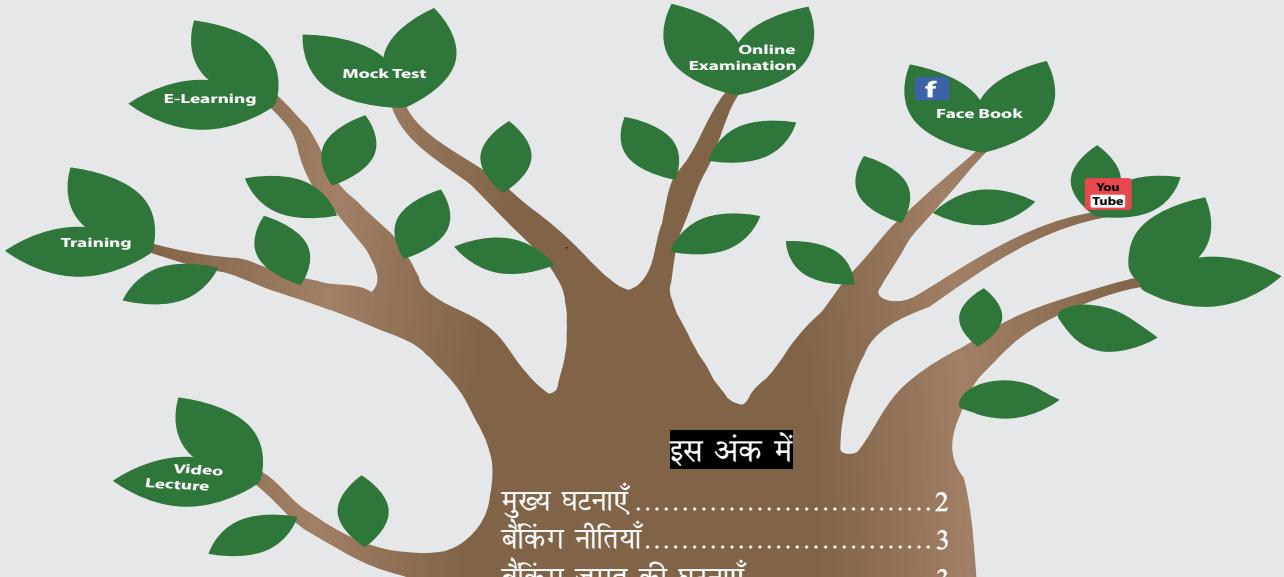

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
पूंजी बाजार.....4
विनियामक के कथन.....5
आर्थिक संवेष्टन.....5
नई नियुक्ति.....5
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....6
वित्तीय ज्ञान.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....7
हरित पहल.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

बैंकों हेतु मानदंडों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन: लाभांश भुगतान को पूंजी अनुपात से संबद्ध करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विवेकपूर्ण निदेशों को संशोधित कर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लाभांश भुगतान को उनके कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) पूंजी अनुपात से संबद्ध करने को कहा है। इन भुगतानों को 10 पूंजी अनुपात समूहों में रखा गया है। उच्चतम समूह वाले बैंक जिनका अनुपात 20% से अधिक हो, वे करोपरांत अपने समायोजित लाभ के 100% तक भुगतान कर सकते हैं जबकि निम्नतम समूह वाले बैंकों (जिनका सीईटी1 अनुपात 8% या इससे कम हो), के द्वारा लाभांश भुगतान करने की अनुमति नहीं है। समूह कोई भी हो, कुल भुगतान मिलाकर, संबंधित अवधि के करोपरांत लाभ के 75% से अधिक नहीं हो सकता। संशोधित दिशानिर्देशों में 'करोपरांत समायोजित लाभ' की अवधारणा शुरू की गई है। लाभांश की घोषणा करने अथवा लाभ विप्रेषित करने हेतु बैंकों पर लागू पात्रता मानदंडों के अनुसार बैंकों द्वारा लाभांश भुगतान किए जाने के पूर्व तथा पश्चात् विनियामक पूंजी की लागू आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए; उनका करोपरांत समायोजित लाभ धनात्मक होना चाहिए; तथा लाभांश वितरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई पाबंदी जारी नहीं होनी चाहिए। लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा भुगतान बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलग मानदंड जारी किए हैं। यह नया ढांचा वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा।

नवोन्मेषी उत्पादों के परीक्षण हेतु आईएफएससीए द्वारा संशोधित फिनटेक सैंडबॉक्स जारी

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने फिनटेक सैंडबॉक्स ढांचे का अनुमोदन कर दिया है। इस प्रकार विनियामक, नवोन्मेषी, अंतर-परिचालनीय तथा ओवरसीज सैंडबॉक्स के बहु-स्तरीय, संरचित वातावरण के निर्माण के लिए नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों के परीक्षण का दायरा बढ़ेगा। इस ढांचे का उपयोग कर फिनटेक वास्तविक दुनिया के डेटा के साथ समाधानों का परीक्षण कर सकते हैं। ढांचे में आईएफएससीए द्वारा विनियमित समस्त वित्तीय सेवाएँ, उत्पाद तथा संस्थाएं शामिल हैं।

आईएफएससीए की निर्यात प्रोत्साहन योजना भारतीय निर्यातकों को पारंपरिक बैंक ऋण के ऊपर चलनिधि प्राप्त करने में मदद करेगी

निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) - निर्यात प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वैकल्पिक व्यापार लिखतों हेतु आईएफएससीए के सहयोग से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को अब लाभ पहुंचेगा। योजना का उद्देश्य अधिकृत आईएफएससी बैंकिंग यूनिटों तथा वित्तीय कंपनियों/ यूनिटों के जरिए प्रबंधित डिजिटल, पारदर्शी तथा त्वरित दावा तंत्र स्थापित करना है। इसमें 2.75% ब्याज छूट का प्रावधान है तथा छूट की कुल वार्षिक राशि संबंधित वित्त वर्ष में अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति एमएसएमई नियत की गई है।

आईएफएससी में विनियमित संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों में आईएफएससीए द्वारा संशोधन

आईएफएससीए ने आईएफएससी में विनियमित संस्थाओं के लिए साइबर सुरक्षा एवं साइबर दृढ़ता पर अपने दिशानिर्देशों को संशोधित कर खास लघु, समूह संबद्ध अथवा विदेश संबद्ध संस्थाओं नामत: भारतीय/विदेशी संस्थाओं की शाखाओं, समूह सेवा संस्थाओं, 10 से कम कर्मचारी वाली संस्थाओं, विदेशी विश्वविद्यालयों तथा नवीन एकल संस्थाओं को कतिपय कठोर अपेक्षाओं से तीन वर्ष की छूट दी है।

क्रिप्टो, सीबीडीसी को शामिल करने हेतु आय कर रिपोर्टिंग ढांचे का विस्तार

क्रिप्टो आस्तियों, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) तथा कतिपय इलेक्ट्रॉनिक मनी उत्पादों को शामिल करने हेतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से, वित्तीय लेखा रिपोर्टिंग ढांचे का विस्तार किया है। इससे क्रिप्टो आस्ति सेवा प्रदाताओं तथा खास वित्तीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य हो गया है कि वे ऐसी आस्तियों में संव्यवहार तथा होल्डिंग को कर प्राधिकारियों को रिपोर्ट करें। साथ ही वित्तीय लेखों की परिभाषा को व्यापक बना कर इसमें नए डिजिटल वित्तीय उत्पादों को शामिल किया गया है। इस प्रकार कॉमन रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) रिपोर्टिंग ढांचे में शामिल आस्तियों तथा संस्थाओं का दायरा बढ़ गया है।

एमएफआई, एनबीएफसी - एमएफआई को सहायता देने वाले बैंकों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा सीजीएसएमएफआई-2.0 लागू

लघु उधारकर्ताओं को आगे ऋण देने हेतु बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी - एमएफआई) और एमएफआई को प्रदत्त वित्तीय सहायता में संभावित हानियों के प्रति बैंकों को गारंटी कवर देने के लिए भारत सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं हेतु ऋण गारंटी योजना - 2.0 (सीजीएसएमएफआई - 2.0) शुरू की है। लघु, मध्यम तथा वृहद एनबीएफसी-एमएफआई/ एमएफआई हेतु कवर चूक की राशि का क्रमश: 80%, 75% व 70% होगा।

बैंकिंग नीतियाँ

सीसीआर एक्सपोजर के समक्ष पूंजी की ऋणदाता द्वारा गणना हेतु नियमों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

ऋणदाता प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम एक्सपोजर के समक्ष पूंजी की गणना किस प्रकार करें और कितनी पूंजी रखें, को शामिल करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचे को संशोधित किया है। इक्विटी संविदाओं के लिए 1 वर्ष, 1-5 वर्ष तक तथा 5 वर्ष से अधिक की परिपक्वता हेतु क्रमश: 6%, 8% और 10% का अतिरिक्त गुणक लागू होगा। कीमती धातुओं (स्वर्ण को छोड़ कर) हेतु उपरवर्णित परिपक्वता अवधियों के लिए क्रमश: 7%, 7% और 8% लागू होगा जबकि अन्य वस्तुओं के लिए दर 10%, 12% और 15% होगी। इक्विटी तथा कमोडिटी डेरिवेटिव खंडों में सेबी-मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग सदस्य के रूप में कार्यरत बैंक, सीसीआर हेतु पूंजी भार अवश्य परिकलित करें और रखें। लघु वित्त बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलग विनियम निर्दिष्ट किए हैं।

संस्थाओं द्वारा 'स्वामित्व वाली निधि', तिमाही लाभ की गणना हेतु निदेशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियाँ, कोर निवेश कंपनियाँ, मार्गेज गारंटी कंपनियाँ अपने विनियामक ढांचे के तहत 'स्वामित्व वाली निधि' और टियर 1 पूंजी की गणना कैसे करें, इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। संशोधनों के अनुसार तिमाही लाभ को शामिल करना आगे दी गई शर्तों के अधीन है: (i) वित्तीय विवरणों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा/लेखापरीक्षा की जाएँ (ii) ऐसे लाभों से विगत तीन वर्ष में भुगतान औसत लाभांश घटा दिया जाए।

अधिकृत डीलर दैनिक एनओपी-आईएनआर एक्सपोजर 100 मिलियन अमरीकी डॉलर रखें: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रुपयों में बैंकों की नेट ओपन पोजिशन (एनओपी) हेतु उच्चतम सीमा नियत की है। अधिकृत डीलरों को निदेश दिया गया है कि वे 10 अप्रैल, 2026 तक; रुपए में अपनी नेट ओपन पोजिशन (एनओपी-आईएनआर) प्रत्येक कारोबार दिवस को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा के भीतर रखें। ये अनुदेश ऑनशोर डिलिवरेबल विदेशी मुद्रा बाजार में पोजिशनों पर लागू हैं। उच्चतम सीमा नियत करने का उद्देश्य रुपए में अत्यधिक ओपन पोजिशन बनने को रोकना, करेंसी उच्चावचन जनित जोखिम रोकना तथा विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्था बनाने में मदद करना है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बैंक जमाराशि बीमा प्रीमियम के अनुपालन का खुलासा करें: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 के प्रभाव से बैंक अपनी रिपोर्ट में बताएँगे कि लागू जमाराशि बीमा प्रीमियम निर्धारित समय सीमा के भीतर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) को अदा किया गया (या नहीं)। यह अधिदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों पर लागू होगा।

वित्तीय बाजार संव्यवहारों में पारदर्शिता हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने एलईआई तथा यूटीआई अनिवार्य कर दिया है

वित्तीय पारदर्शिता हेतु वैश्विक मानकों के पालन की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय बाजारों में संव्यवहार हेतु लीगल इंटिटी आइडेंटिफ़ायर (एलईआई) और यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफ़ायर (यूटीआई) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। एलईआई कोड 20 कैरेक्टर का विशिष्ट पहचान कोड है जो सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों, विदेशी मुद्रा लिखतों तथा डेरिवेटिव में व्यक्तियों से इतर संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले सभी ओटीसी संव्यवहारों पर लागू है। यूटीआई एक विशिष्ट पहचानकर्ता संख्या है जो गवर्निंग निदेशों के अनुसार ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में किए गए सभी संव्यवहारों हेतु उत्पन्न या रिपोर्ट की जाती है। यूटीआई को लागू करने संबंधी निदेश 01 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।

संक्रेंदण जोखिम के मानदंडों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

एनबीएफसी हेतु संक्रेंदण जोखिम अथवा एक्सपोजर मानदंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधित कर दिए गए हैं। तदनुसार, विनियामक अनुपालन हेतु प्रयुक्त टियर 1 पूंजी का निर्धारण एनबीएफसी के नवीनतम वित्तीय विवरण जो लेखापरीक्षित हो या जिसकी सीमित समीक्षा की गई हो, के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि, पूंजीगत निधियों में वृद्धि करने पर विचार एक बाहरी लेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र लेने और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग को सौंपने के बाद ही किया जा सकता है।

'डिजिटल संव्यवहारों में ग्राहक की देयता सीमित करने हेतु ढांचे की समीक्षा' पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशों में संशोधन का मसौदा जारी

अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संव्यवहारों में ग्राहकों की देयता सीमित करने पर मौजूदा अनुदेशों का दायरा बढ़ाने ताकि इनमें धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संव्यवहारों की अन्य श्रेणियों को शामिल किया जाए, धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संव्यवहारों से संबंधित शिकायतों पर बैंकों द्वारा कार्यवाही में समय कम लगे तथा लघु मूल्य के धोखाधड़ीपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग संव्यवहारों हेतु एक क्षतिपूर्ति व्यवस्था लाई जाए, हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'डिजिटल संव्यवहारों में ग्राहक की देयता सीमित करने हेतु ढांचे की समीक्षा' पर निदेशों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इन संशोधित निदेशों के तहत जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित क्षतिपूर्ति व्यवस्था इन निदेशों की प्रभावी तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगी।

पूंजी बाजार

म्यूचुअल फंड निवेशक सेबी की डेबिट फ्रीज़ सुविधा से अपना फोलियो लॉक कर सकते हैं

डिजिटल सुरक्षा की ओर एक कदम स्वरूप, 30 अप्रैल 2026 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) डिमेट तथा गैर-डिमेट दोनों फोलियो में म्यूचुअल फंड निवेशकों हेतु ऐच्छिक डेबिट फ्रीज़ सुविधा उपलब्ध कराएगा। इस सुविधा को लेने वाले निवेशक अपना फोलियो लॉक कर सुनिश्चित कर सकेंगे कि फोलियो अनलॉक करने तक उनके खाते से कोई यूनिट नामे न की जाए। यह सुविधा अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) अनुपालित ग्राहकों जिनके पास मान्य ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर (दोनों अनिवार्य) हो, मात्र को उपलब्ध होगी।

सेबी द्वारा एआईएफ रिपोर्टिंग मानदंडों में संशोधन, वार्षिक फाइलिंग प्रणाली लागू

वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) हेतु विनियामक रिपोर्ट ढांचे में सेबी ने व्यापक बदलाव किए हैं। तदनुसार, एआईएफ द्वारा, प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 30 कलेंडर दिनो के भीतर, विस्तृत वार्षिक कार्यकलाप रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मार्च 2026 में समाप्त वित्त वर्ष हेतु ऐसी पहली रिपोर्ट 31 मई 2026 तक अवश्य प्रस्तुत कर देनी है। इसके साथ एआईएफ, जून 2026 में समाप्त तिमाही से शुरू कर, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर संक्षिप्त तिमाही कार्यकलाप रिपोर्ट संशोधित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे।

प्रतिभूति संविदा (विनियम) संशोधन नियम, 2026

प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम लाने वाली फर्मों को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए, स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने हेतु कंपनियों द्वारा जारी न्यूनतम सार्वजनिक प्रस्तावों के लिए नियमों को बदल कर इन्हें निर्गम उपरांत पूंजी से संबद्ध किया गया है। निर्गम उपरांत 1600 करोड़ से अधिक और 5000 करोड़ रुपए से कम पूंजी वाली कंपनियों को सूचीबद्धता की तिथि से तीन वर्ष के भीतर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से बढ़ाकर न्यूनतम 25% तक करनी होगी। इन नियमों में, संशोधन नियमों के लागू होने से पूर्व सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों की प्रतिबद्धता का अनुपालन न करने वाली कंपनियों के लिए दंड लागू है।

म्यूचुअल फंड द्वारा धारित स्वर्ण और चांदी हेतु मूल्य निर्धारण मानदंडों में सेबी द्वारा संशोधन

सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा धारित भौतिक स्वर्ण और चांदी हेतु मूल्य निर्धारण पद्धति को संशोधित कर, इनका मूल्य निकालने के लिए, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा पोल किए गए हाजिर मूल्य का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। यह नया ढांचा 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। पूर्व में, स्वर्ण और चांदी की एक्सचेंज पर व्यापारित निधियां उनके द्वारा धारित भौतिक स्वर्ण और चांदी के मूल्य का मूल्य निर्धारण लंदन बुलियन मार्केट असोशिएशन के एएम फिक्सिंग मूल्य के आधार पर करती थीं।

सोशल इम्पैक्ट निधियों हेतु दिशानिर्देशों में सेबी द्वारा सुधार

सेबी ने सोशल इम्पैक्ट निधियों (एसआईएफ) में व्यैक्तिक निवेशकों हेतु न्यूनतम निवेश सीमा में भारी कमी का अनुमोदन कर इसे 2 लाख रुपए से 1,000 रुपए कर दिया है। सोशल स्टॉक एक्सचेंजों पर अलाभार्थ संगठनों हेतु पंजीकरण की वैधता दो वर्ष से बढ़ कर तीन वर्ष हो गई है। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) लिखतों हेतु न्यूनतम अभिदान आवश्यकता विशिष्ट, सुपरिभाषित परियोजनाओं में 75% से 50% कर दी गई है। एआईएफ विनियमों के अंतर्गत सोशल वेंचर निधियों का नाम बदल कर सोशल इम्पैक्ट निधियां (एसआईएफ) कर दिया गया है ताकि इनका उद्देश्य बेहतर प्रकट हो।

इंट्राडे कर्ज लेने हेतु सेबी द्वारा नियम जारी

सेबी ने इंट्राडे कर्ज लेने हेतु नियम जारी किए हैं। तदनुसार, 1 अप्रैल 2026 से इंट्राडे कर्ज का उपयोग यूनिटों के पुनर्क्रय अथवा शोधन या ब्याज के भुगतान या यूनिटधारकों को आय वितरण सह पूँजी निकासी भुगतान हेतु किया जाएगा। इंट्राडे कर्ज की राशि भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड से उसी दिन प्राप्य गारंटीकृत बकाए से अधिक नहीं होगी।

ब्रोकरों के लिए सेबी ने रिपोर्टिंग मानदंडों तथा अनुपालन बोझ में राहत दी है

शेयर ब्रोकरों तथा डिपॉजिटरी भागीदारों के लिए कतिपय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के सरलीकरण हेतु, सेबी ने ब्रोकरों, जो बैंक भी

हों, को सभी बैंक खातों की बजाय केवल उन बैंक खातों को रिपोर्ट करने को कहा है जिनका उपयोग स्टॉकब्रोकिंग कार्यकलापों हेतु किया जाता हो। ब्रोकरों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को मौजूदा व नए डिमेट खातों की जानकारी दी जानी है। सभी नए बैंक तथा डिमेट खातों का नाम एकरूप नामकरण के अनुसार किया जाएगा। डिपॉजिटरी एक शेयर ब्रोकर द्वारा खोले/बंद किए गए सभी डिमेट खातों का विवरण संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करेंगे।

कमोडिटी एक्सचेंजों हेतु एसजीएफ मानदंडों में सेबी द्वारा राहत

व्यवसाय करना सुगम बनाने हेतु सेबी ने कमोडिटी एक्सचेंजों के लिए कोर निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) मानदंडों में ढील दी है। तदनुसार, कमोडिटी डेरिवेटिव खंड में, एसजीएफ संबंधी प्रावधानों के सख्त कार्यान्वयन में, मौजूदा बाजार दशाओं, लागू जोखिम प्रबंधन ढांचे की पर्याप्तता तथा निवेशक सुरक्षा के समग्र उद्देश्य पर विचार करने के बाद, अलग-अलग मामलों के आधार पर छूट या राहत दी जा सकती है।

विनियामक के कथन

अपने मूल में वित्त, लोगों हेतु किया जाने वाला व्यवसाय है: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), जम्मू में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय वित्त और लेखा सम्मेलन में बोलते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने कहा कि वित्त को अधिकांशत: संख्याओं, मॉडलों तथा बाजार से जोड़ा जाता है, किंतु अपने मूल में वित्त, लोगों हेतु किया जाने वाला व्यवसाय है। प्रत्येक जमा के पीछे, एक परिवार होता है जो अपने को सुरक्षित करना चाहता है। वित्तीय विवरणों से आप जान सकते हैं क्या टिकने वाला है और क्या नहीं। उप गवर्नर ने कहा कि लाभ से बढ़ कर आस्तियों की गुणवत्ता, निधियन में स्थायित्व, बफर की पर्याप्तता और एक्सपोजरों के संक्रेंदण पर नजर रखने की जरूरत है।

डिजिटल समावेशन सामर्थ्य और विश्वास की ओर अग्रसर: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय-राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (सीएबी-एनआईबीएम) के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्तव्य देते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने कहा कि समावेशन, अब पहुँच से बढ़ कर सामर्थ्य और विश्वास के अपने आगामी गहरे चरण में प्रवेश कर रहा है। समावेशन वास्तव में तब अर्थपूर्ण होता है जब परिवार तथा लघु व्यवसाय वित्तीय उत्पादों तथा भुगतान श्रंखलाओं का नियमित तथा सुरक्षापूर्ण उपयोग कर सकें। डिजाइन का महत्व इसी कारण से है। लंबे समय तक टिकने वाला डिजिटल समावेशन ऐसे उत्पाद तथा प्रक्रियाएँ बनाकर हासिल किया जा सकता है जो लैंगिक भेद से ऊपर उठ कर हों। साथ ही, सरल इंटरफेस, न्यून डेटा वाली डिजाइन, विकल्प चयन में सहायता तथा शिकायत समाधान की स्पष्ट राह मूल आवश्यकताएँ मानी जानी चाहिए।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग ने मार्च 2026 हेतु मासिक आर्थिक समीक्षा जारी की है, जिसकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- जनवरी 2025 के 12.2% की तुलना में जनवरी 2026 में, एमएसएमई क्षेत्र को बैंक ऋण में 28.5% की वृद्धि हुई।
- देश का कुल निर्यात (वस्तु तथा सेवा) वर्षानुवर्ष 5.8% बढ़ कर 790.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।
- भारत का चालू खाता घाटा जो वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.1% था, वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में बढ़ कर सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% हो गया।
- विनिर्माण हेतु पर्चेजिंग मैनेजर्स सूचकांक (पीएमआई) बढ़ कर, फरवरी में चार माह के उच्चतम 56.9 पर पहुँच गया जबकि सेवाओं का पीएमआई 58.1 रहा जो दोनों क्षेत्रों के निरंतर विस्तार को दर्शाता है।
- आठ कोर उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में वर्षानुवर्ष आधार पर फरवरी 2026 में 2.26% की अस्थायी वृद्धि दर्ज की गई।
- खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ कर फरवरी 2026 में 10 माह के उच्चतम स्तर 3.21% पर पहुँच गई।
- वित्त वर्ष 26 के अप्रैल-जनवरी में, सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के 69.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ कर 79.3 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

नई नियुक्ति

नाम	पदनाम
श्री विनय मुरलीधर टोंसे	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यस बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार		
मद	यथा 27 मार्च 2026	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6520745	688058
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5222593	551072
1.2 स्वर्ण	1075852	113521
1.3 एसडीआर	176739	18649
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	45561	4816

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ

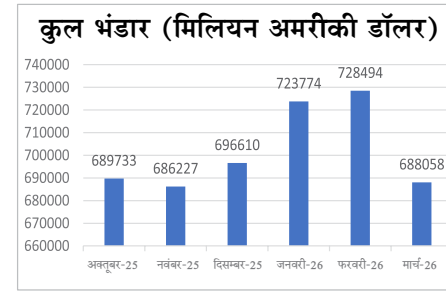

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: *भारतीय रिज़र्व बैंक*

यथा 30 मार्च 2026 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, अप्रैल 2026 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	3.65
SONIA (जीबीपी)	3.7282
STR (यूरो)	1.930
TONA (जापानी येन)	0.727
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.3200
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	4.10
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.046172

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	2.25
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.637
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.1783
HONIA (हांगकांग डॉलर)	2.26048
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5280

स्रोत: *www.fbil.org.in*

शब्दावली

नेट ओपन पोजिशन

नेट ओपन पोजिशन (एनओपी), एक बैंक या निवेशक के विदेशी मुद्रा जोखिम के कुल विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के बीच अंतर के रूप में परिकलित, अरक्षित एक्सपोजर की माप है। यह करेंसी में उतार-चढ़ाव से हानि (या लाभ) का जोखिम तय करता है। उच्चतर एनओपी करेंसी में वृहत्तर जोखिम दर्शाता है।

वित्तीय ज्ञान

बारबेल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी

बारबेल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पोर्टफोलियो के प्रबंधन का एक तरीका है जो औसत जोखिम वाली आस्तियों को दरकिनार कर, उच्च जोखिम तथा जोखिम रहित आस्तियों में निवेश करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य बड़ा लाभ कमाने का अवसर रखते हुए समग्र जोखिम को कम करना है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल 2026 माह हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
जेएआईआईबी/डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस संपर्क कक्षाएँ	3 अप्रैल-1 मई, 2026	वर्चुअल
सीएआईआईबी संपर्क कक्षाएँ	5 अप्रैल-24 अप्रैल, 2026	वर्चुअल
जेएआईआईबी/डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस संपर्क कक्षाएँ	5 अप्रैल-26 अप्रैल, 2026	पीडीसी, लखनऊ
जेएआईआईबी/सीएआईआईबी संपर्क कक्षाएँ	5 अप्रैल-24 मई, 2026	पीडीसी, ईस्ट जॉन, कोलकाता
एआई के साथ स्मार्ट बैंकिंग – बैंकरों हेतु गहन समझ पर कार्यक्रम	10 अप्रैल, 2026	वर्चुअल
सर्टिफाइड क्रेडिट पेशेवरों हेतु परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	15-17 अप्रैल, 2026	वर्चुअल
निवारक सतर्कता और धोखाधड़ी प्रबंधन पर कार्यक्रम	15-17 अप्रैल, 2026	वर्चुअल
जोखिम प्रबंधन के साथ इक्विटी सौदे व समाधान पर बैंकों, एनबीएफसी तथा वित्तीय संस्थानों हेतु कार्यक्रम	17-18 अप्रैल, 2026	लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, मुंबई
एमएसएमई के वित्तपोषण और पुनर्गठन पर बैंकों, एनबीएफसी तथा वित्तीय संस्थानों हेतु कार्यक्रम	21-23 अप्रैल, 2026	वर्चुअल

संस्थान समाचार

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय

अप्रैल-जून 2026 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के अंक का विषय - 'वित्तीय समावेशन-आगामी चरण' है।

बाजार की खबरें

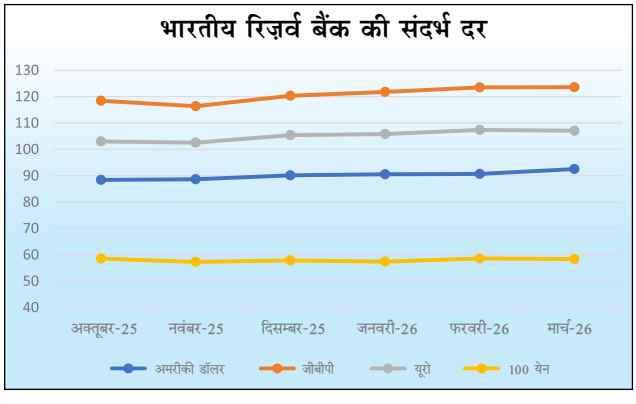

स्रोत: एफबीआईएल

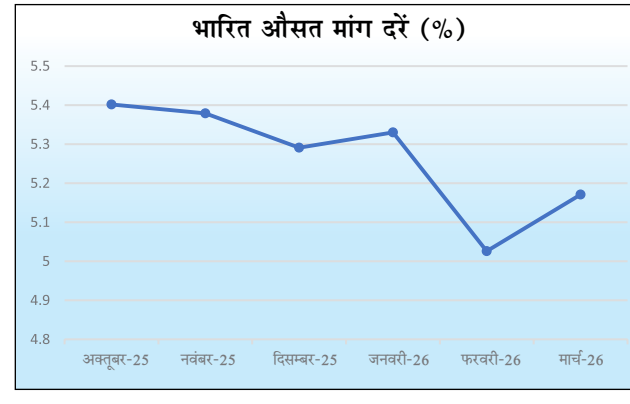

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

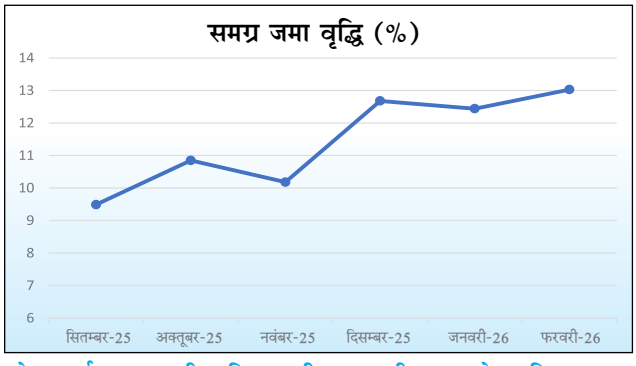

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी 2025

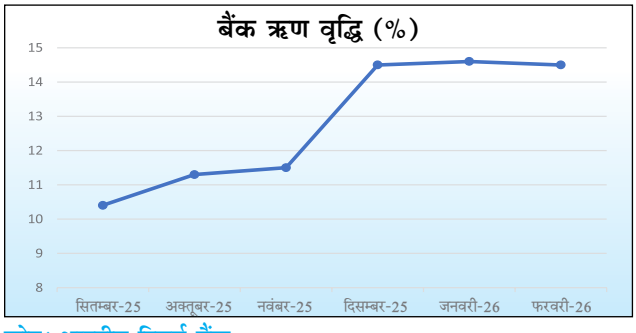

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

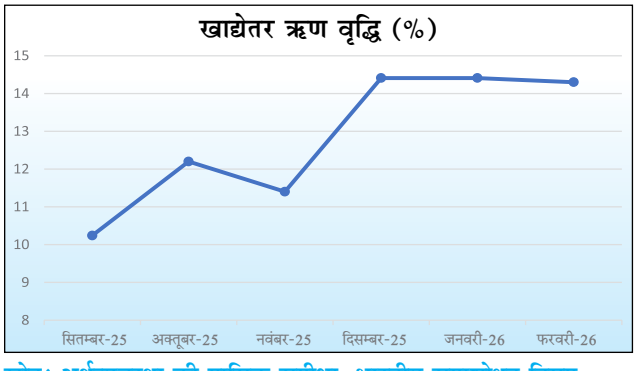

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी 2025

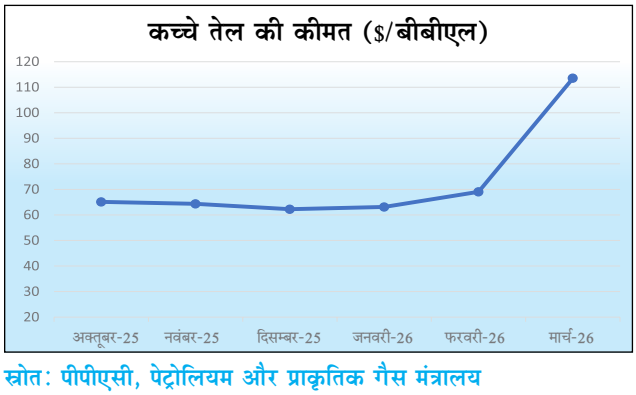

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

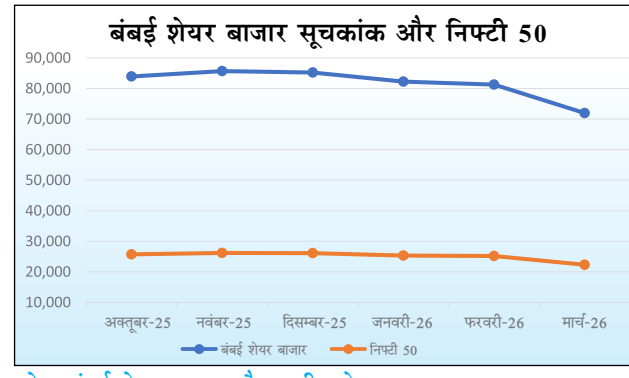

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

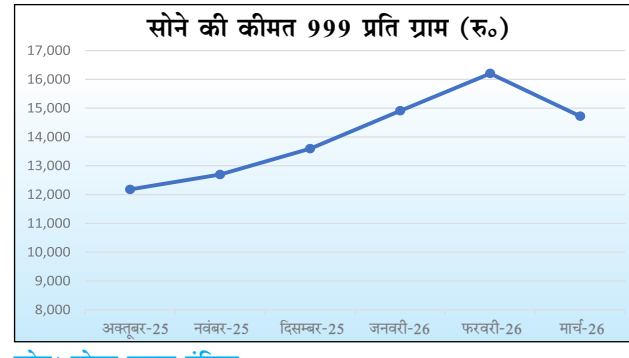

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की यह प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में नियामक द्वारा जारी किए गए हालिया घटनाक्रमों/दिशानिर्देशों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि यह जांचा जा सके कि उम्मीदवार वर्तमान घटनाक्रमों से अवगत हैं या नहीं। हालांकि, प्रश्न पत्र तैयार होने की तिथि और वास्तविक परीक्षा की तिथि के बीच घटनाक्रमों/दिशानिर्देशों में परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि: (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

हरित पहल

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई-मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Deepak Kumar Lalla, **Published by** Deepak Kumar Lalla, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Printrade Issues (I) Pvt. Ltd., 17, Pragati Ind. Estate, 316, N.M. Joshi Marg, Mumbai - 400011 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Deepak Kumar Lalla

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),
Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in